10

पत्रांक :– 02/स्था॰विविध–07–09/2013

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई॰ रमेश कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव (प्र॰)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा।

POST

रॉची, दिनांक :————————/

विषय : **श्री ब्रजेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा सम्प्रति अधिसूचित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल सं॰–02, मेदिनीनगर को नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित करने के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय अधिसूचना सं॰–3019 दिनांक 30.06.2012, पत्रांक 473 दिनांक 17.07.12 एवं पत्रांक 4549 दिनांक 01.09.12

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन अधिसूचना के क्रमांक–149 द्वारा श्री ब्रजेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल सं॰–02, मेदिनीनगर (लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर) के पद पर पदस्थापित किया गया है। परन्तु उक्त अधिसूचना में विहित आदेश का अनुपालन आपके द्वारा अबतक नहीं कराया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि श्री ब्रजेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा को अविलम्ब प्रभार मुक्त करते हुए नव पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित कर विभाग को सूचित किया जाय अन्यथा आपको विभागीय आदेश की अवहेलना में अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त मानते हुए तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 2–61 रॉची, दिनांक :– 6-4-13

प्रतिलिपि : सरकार के विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ श्री ब्रजेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा (सम्प्रति अधिसूचित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल सं॰–02, मेदिनीनगर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/13

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD 1\Under Sec\Draft\DRAFT 13\Braje Kr. Barma 04-04-13.doc